

# डिक्री व मुकदमा इब्तदाई

(आर्डर 20 नियम 6-7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राज0)  
बईजलास सुनील कुमार मीणा, (आर0ए0एस0) उपखण्ड अधिकारी

उनवान

1- नारायण पुत्र माधू गुर्जर निवासी सेवनी तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

- वादी

बनाम

- 1- माधू पुत्र कालू गुर्जर निवासी सेवनी तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 2- देबी लाल पुत्र माधू गुर्जर निवासी सेवनी तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 3- तहसीलदार शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 4- शाखा प्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक शाखा शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

- प्रतिवादीगण

वाद पत्र बाबत खातेदारी घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा सर्वकालीन तथा विभाजन कृषि  
आराजियात अन्तर्गत धारा 53, 88, 89 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट

मुकदमा नम्बर 97/2024 राजस्व वाद

यह मुकदमा अज वास्ते इनफिसल कतई रुबरु अदालत व हिजरी वकील वादी मिनजानिब मुदई व  
.....X ..... मिनजानिब मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता है। डिक्री दी  
जाती है कि :-

वाद वादी अदम हाजरी अदम पैरवी में खारीज किया जाता है।

निज मुबलिग, बाबत खर्चा, इस मुकदमें में सूद शहर फौसदी सालाना आज तारीख से तारीख  
व सूलयाबी तक अदा करे।

बाबत मेरे दस्तखत व मोहर से आज तारीख 20 माह 08 सन् 2025 को जारी की गई।



(सुनील कुमार मीणा)  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
सहायक कलेक्टर, शाहपुरा